राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY),
पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना)
दिशा–निर्देश (दिनांक 14.08.2017 से प्रभावी)

1. परिचयः–

प्रदेश में दिनांक 14.08.2006 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के चयनित बी.पी.एल. परिवारों एवं आस्था कार्डधारी परिवारों को बीमा का लाभ दिये जाने हेतु पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) लागू की गई थी। भारत सरकार के पत्र क्रमांक D.O.No.M-21015/02/ 2017.RW दिनांक 11.05.2017 एवं मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2017 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयुवर्ग के बीमा किये जाने वाले सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत शामिल कर एवं 51 वर्ष से 59 वर्ष के आयुवर्ग के बीमा किये जाने वाले सदस्यों को पूर्व की भांति पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) के तहत दिनांक 14.08.2017 से शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त दोनों योजनाएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जायेगी।

2. बी.पी.एल. एवं आस्था कार्डधारक परिवार के व्यक्ति को बीमा लाभः–

I) <u>पात्रताः–</u>

ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल. सर्वे 2003 में चयनित बी.पी.एल. परिवार तथा आस्था कार्डधारी परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष (दोनों तिथियां सम्मिलित तथा आयु पिछले जन्मदिन पर) तक आयुवर्ग के सदस्य को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सम्मिलित किया गया है।

Scanned with CamScanner

ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. सर्वे 2002 एवं शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल. सर्वे 2003 में चयनित बी.पी.एल. परिवार तथा आस्था कार्डधारी परिवार के 51 वर्ष से 59 वर्ष (दोनों तिथियां सम्मिलित तथा आयु पिछले जन्मदिन पर) तक आयुवर्ग के सदस्य को पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) में सम्मिलित किया गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले एवं आस्था कार्ड धारक परिवारों की जारी की गई सूची (पैरा संख्या 1) में उल्लेखित परिवार का मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष एवं 51 से 59 वर्ष (दोनों तिथियां सम्मिलित तथा आयु पिछले जन्मदिन पर) के बीच की हो, ऐसे परिवार के मुखिया की आयु 60 वर्ष से एक दिन भी अधिक होने की स्थिति में उसके परिवार कार्ड में उल्लेखित वरिष्ठतम (सबसे बड़ा) व्यक्ति पात्र होगा। मुखिया को यह भी विकल्प होगा कि वह चाहे तो अपने को बीमित करावे या मुख्य आजीविका कमाने वाले का बीमा करावे। मुखिया द्वारा इस सम्बन्ध में दिया गया विकल्प पत्र योजना लागू होने के तीन माह की अवधि में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक या सम्बन्धित नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के जयपुर कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंच जाना चाहिए। जो व्यक्ति विकल्प दे रहा है, वह तथा जिसका बीमा प्रस्तावित किया गया है, वह दोनों ही व्यक्ति उस विकल्प के बीमा कार्यालय में पहुंचने के समय तक जीवित होने चाहिए। विकल्प देने का प्रपत्र (अनुलग्नक–1) संलग्न है।

2) <u>आयु का प्रमाण:–</u> बी.पी.एल. सूची एवं आस्था कार्ड में जो आयु अंकित होगी वही मान्य होगी और यह आयु बी.पी.एल. सूची के प्रकाशन एवं आस्था कार्ड जारी की दिनांक को मानी जायेगी। बी.पी.एल. सूची एवं आस्था कार्ड में आयु अंकित नहीं होने पर मतदाता सूची/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/मामाशाह कार्ड/राशन कार्ड में अंकित आयु जो भी उपलब्ध हो मान्य होगी। यदि एक से अधिक अभिलेख उपलब्ध हो तो इन अभिलेखों में से जिस अभिलेख में अधिक आयु दर्शायी गई हो, को आयु माना जायेगा।

Scanned with CamScanner

3) मनोनयनः– बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी अथवा पति को बीमा राशि का भुगतान करने के लिए मनोनीत माना जायेगा। बीमित व्यक्ति की पत्नी/पति के जीवित नहीं होने पर बीमित व्यक्ति के परिवार कार्ड में अंकित सबसे बड़ी सन्तान को मनोनीत माना जायेगा। बीमित व्यक्ति की पत्नी अथवा पति या किसी बच्चे के जीवित नहीं होने की स्थिति में बी.पी.एल. एवं आस्था परिवार की सूची में अंकित ऐसे परिवार के सबसे बड़े सदस्य का स्वतः नामितीकरण (नोमिनेशन) का प्रावधान है।

3. प्रीमियमः– योजनाओं के अन्तर्गत बीमित परिवार के बीमित सदस्य की प्रीमियम राशि निम्न विवरण के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जायेगा :–

	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना)
प्रीमियम की दर	330 रु. प्रतिवर्ष	12 रु. प्रतिवर्ष	200 रु. प्रतिवर्ष

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम राशि 330+12=342 का 50 प्रतिशत 171/– रूपये राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा को भुगतान किया जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत 171/– रूपये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संधारित भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा कोष से आहरित किया जायेगा।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) के अन्तर्गत देय प्रीमियम राशि 200+12=212 में राशि 112/– रूपये राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा को भुगतान किया जायेगा एवं शेष राशि 100/– रूपये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संधारित भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा कोष से आहरित किया जायेगा।

नोटः–51 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य आयु वाले बीमित सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रूपये प्रति सदस्य का प्रीमियम दिया जाकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल किया गया है।

Scanned with CamScanner

4. <u>हित लाभ</u>:–

1) इन योजनाओं के अन्तर्गत नामित सदस्य को निम्न सारणी अनुसार बीमा लाभ देय है, जिसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जायेगा :–

	(अ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) (अ) 18–50 वर्ष	(ब) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) (ब) 18–50 वर्ष एवं 51से 59 वर्ष	(स) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) (स) 51–59 वर्ष Converged - AABY
हित लाभ	किसी भी कारण बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर — रू 2 लाख	(अ) दुर्घटनावश मृत्यु — 2लाखरू (ब) स्थायी अपंगता — दोनों आखों की कुल तथा अपूर्णनीग क्षति या दोनों हाथों या दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना। — 2लाखरू (स) अस्थायी अपंगता — एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना। — 1लाखरू	(अ) सामान्य मृत्यु की दशा में — 30000/–रू (ब) दुर्घटनावश मृत्यु — 75000/–रू (स) स्थायी अपगता — दोनों आखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या दोनों हाथों या दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना या एक आंख की नजर खो जाना और एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना। — 75000/–रू (द) अस्थायी अपंगता — एक आंख की नजर की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना। — 37500/–रू

<u>नोट</u>:– 18–50 वर्ष के आयुवर्ग को PMJJBY एवं PMSBY के अनुसार एवं 51–59 वर्ष के आयुवर्ग के सदस्यों को PMSBY एवं AABY के अनुसार लाभ देय होंगे।

Scanned with CamScanner

2) यहां पर दुर्घटना के कारण मृत्यु/स्थायी पूर्ण अपंगता/आंशिक अपंगता का अर्थ मृत्यु अथवा अपंगता से है, जो कि दुर्घटना होने से 3 कलेण्डर माह के मध्य की हो। इसमें कोई जानबुझकर स्वयं को पहुंचाई गई चोट, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास अथवा शराब, नशीले पदार्थों का सेवन, दंगे, सिविल कोमोशन, विद्रोह, आक्रमण, युद्ध, शिकार के कारण लगी चोट, पर्वतारोहण आदि में लगी चोट अथवा मृत्यु सम्मिलित नहीं है।

3) "दुर्घटना के कारण मृत्यु/पूर्ण अपंगता" से अर्थ है सीधे–सीधे किसी हिंसक, बाह्य एवं दर्शनीय वस्तु द्वारा शारीरिक हानि के कारण घटना के 180 दिन के अन्दर मृत्यु या अपंगता। इसके अलावा दुर्घटना के कारण मृत्यु/पूर्ण अपंगता में निम्नलिखित परिस्थिति शामिल नहीं होगी:

a) जानबूझकर खुद को पहुंचाई गयी हानि, आत्म हत्या, आत्महत्या का प्रयास, शराब, ड्रग्स या narcotic के नशे में किया गया अनैतिक कार्य

b) दंगे, राजनैतिक विद्रोह, युद्ध, आक्रमण, शिकार के दौरान, पर्वतारोहण आदि के परिणामस्वरूप

c) कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के केस में दुर्घटना कवर केवल दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु/अपंगता (जो कि वर्तमान विकलांगता से भिन्न हो) के लिए ही होगा।

पूर्ण/आंशिक अपंगता की स्थिति में दावेदार को दुर्घटना का कागजाती सबूत जमा कराना होगा, सरकारी सिविल शल्य चिकित्सक या योग्य सरकारी डॉक्टर द्वारा दुर्घटना के कारण सदस्य के अंगों की हानि दिखाते हुए पूर्ण/आंशिक अपंगता का मेडिकल प्रमाण पत्र। पी&जीएस इकाई को दावेदार, इलाज करने वाले डॉक्टर या अस्पताल से सभी फॉर्म उपयुक्त तरीके से भरवाकर लेने होंगे।

Scanned with CamScanner

5. राज्य सरकार की कार्यकारी एजेन्सीः–

1) योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम सेवक के द्वारा सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरनिगम के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।

2) योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त/प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त/प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान सरकार की होगी।

3) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवक एवं शहरी क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति के परिवार को लाभ दिलाने के संबंध में आवश्यक दावा आवेदन पत्र/छात्रवृत्ति आवेदन पत्र, सूचनाएं सम्बन्धित पंचायत समिति /नगर निकाय के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित करने के लिए राज्य सरकार का अधिकृत प्रतिनिधि होगा एवं योजना से संबंधित समस्त रिकार्ड का संधारण करेगा।

4) ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक, विकास अधिकारी पंचायत समिति को प्रतिमाह भिजवाये गये बीमा दावा आवेदन पत्रों/छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की सूचना सम्बन्धित पंचायत समिति में आयोजित होने वाली मासिक बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिनकी समीक्षा कर विकास अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम से प्रतिमाह निस्तारण की कार्यवाही हेतु पत्र व्यवहार कर बीमित व्यक्ति के परिवार को बीमा एवं छात्रवृत्ति का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगें, जिसकी एक प्रति जिला परिषद को देंगे।

Scanned with CamScanner

5) ग्राम सेवक के पदस्थापन नहीं होने, अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध न होने की स्थिति में योजनान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति का विकास अधिकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने स्तर पर व्यवस्था करेगा।

6) शहरी क्षेत्रों में जिला परियोजना/परियोजना/नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिमाह आयोजित बैठकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रतिमाह भिजवाये गये बीमा दावा आवेदन पत्रों/छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की सूचना प्रस्तुत करेंगें। जिनकी समीक्षा कर जिला परियोजना/परियोजना/नोडल अधिकारी जीवन बीमा निगम से प्रतिमाह निस्तारण की कार्यवाही हेतु पत्र व्यवहार कर बीमित व्यक्ति के परिवार को बीमा एवं छात्रवृत्ति का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगें।

6. प्रक्रिया

1) राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले एवं आस्था कार्डधारक व्यक्तियों की प्रमाणित सूची उपलब्ध करवायी जायेगी।

2) बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत दावा मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। दावा प्रस्तुत करने का प्रपत्र (अनुलग्नक–2) संलग्न है। यह प्रपत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक विकास अधिकारी के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बीमित व्यक्ति के नामित व्यक्ति से स्वयं पूर्ण कराकर भारतीय जीवन बीमा के जयपुर स्थित कार्यालय (भवानी सिंह रोड) को भेजे जायेंगे। नामित व्यक्ति द्वारा बैंक में बचत खाता खुलवाकर प्रपत्र में खाता संख्या/बैंक का नाम अंकित करना होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नामित व्यक्ति के खाते में बीमा राशि का चैक भेजा जायेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विलम्ब की स्थिति में दावा अस्वीकार करने पर ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी होगें।

Scanned with CamScanner

7. दावा प्रस्तुत करते समय आवदेन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1) मृत्यु प्रमाण पत्र – सामान्य एवं दुर्घटना की दशा में मृत्यु होने पर।

2) पोस्टमार्टम रिपोर्ट – दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में।

3) प्रथम सूचना रिपोर्ट – दुर्घटना के कारण मृत्यु/स्थायी अपंगता की दशा में।

4) पुलिस अंवेषण रिपोर्ट – दुर्घटना के कारण मृत्यु/स्थायी अपंगता की दशा में।

5) अधिकृत सरकारी चिकित्सक द्वारा अपंगता प्रमाण पत्र – दुर्घटना के कारण स्थायी अपंगता
(अ) स्थायी पूर्ण अपंगता
(ब) अंगों की हानि/दृष्टिहीनता

6) आयु के साक्ष्य के रूप में दिशा–निर्देशों में अंकित दस्तावेज के संबंधित भाग की फोटो प्रति को सम्बन्धित ग्राम सेवक/अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित कर संलग्न की जाए।

7) अपंगता की स्थिति में सादा कागज पर प्रार्थना–पत्र जिसमें अपंगता का विवरण अधिकृत सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी अपंगता प्रमाण–पत्र के साथ, बैंक खाता नम्बर तथा बैंक का नाम, पता भरकर ग्रामसेवक/अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी से प्रमाणित कराकर भिजवाया जावे।

नोटः–दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा पूर्ण/आंशिक अपंगता के दावा भारतीय जीवन बीमा निगम जयपुर के द्वारा NEW INDIA ASSURANCE COMPANY के माध्यम से करवाये जायेगे।

8. छात्रवृत्ति लाभः– इन योजनाओं में निम्न अनुसार छात्रवृत्ति लाभ देय है :–

बीमित सदस्य के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत अधिकतम दो बच्चों को रू. 100 प्रतिमाह की दर (तिमाही आधार पर रू. 1200 प्रतिवर्ष) से छात्रवृत्ति का लाभ इस योजना के अन्तर्गत देय हैं। छात्रवृत्ति के लाभ NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL के माध्यम से दिये जायेंगे। इसके लिए छात्र को स्वयं NSP पर पंजिकरण करना होगा।

नोटः– छात्रवृत्ति के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with CamScanner

9. भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकृत कार्यालय का पताः—

इस योजना के अन्तर्गत बीमा विकल्प पत्र, बीमा दावा आवेदन पत्र, छात्रवृत्ति आवेदन भेजने एवं पत्र व्यवहार भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं सामूहिक बीमा इकाई, जीवन प्रकाश, द्वितीय तल, भवानी सिंह रोड़, जयपुर से किया जायेगा।

10. दी न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का पताः—

शाखा कार्यालय,, नेहरू पैलेस, प्रथम तल
टोंक रोड, जयपुर 302015

Scanned with CamScanner

भारतीय जीवन बीमा निगम

पेंशन एव समूह बीमा इकाई, जयपुर

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (आम आदमी बीमा योजना) में सम्मिलित होने हेतु विकल्प आवेदन पत्र एवं नामांकन पत्र

(कार्यकारी एजेन्सी द्वारा प्रत्येक ऐसे सदस्य से प्राप्त किया जाना है जो अपने स्थान पर उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजना में शामिल करने का विकल्प देता है)

सेवामें,

महोदय,

मैं.................................एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैं योजना में सदस्यता जारी रहने के लिए मेरे स्थान पर...............................को इस योजना में सदस्यता प्रदान करने का विकल्प देता हूं। मैने एवं विकल्प के नामित सदस्य ने योजना में सदस्यता जारी रहने की अवस्था में मृत्यु होने पर योजना के अन्तर्गत लाभ से सम्बन्धित नियम व शर्तों को पढ लिया है एवं भली–भॉति समझ लिया है।

योजना के अन्तर्गत लागू नियम एवं शर्तो के आधार पर मैं......................(नाम जिसका विकल्प दिया गया है) अब योजना में सम्मिलित होने हेतु आवेदन करता हूं।

मुझसे सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है

1 पूरा नाम
2 पिता/पति का नाम
3 पेशा
4. पूर्ण पता
5 जन्मतिथि
6. आयु
7 पहचान चिन्ह
8 स्वास्थ्य की दशा
9. बी.पी.एल. सूची में अंकित सर्वे फार्म क्रमांक.........................आस्था कार्ड क्रमांक.......

उपरोक्त योजना में सदस्यता अवधि के दौरान मेरी मृत्यु होने की दशा में देय हित लाभ प्राप्त करने हेतु मैं निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों को नामित करता हूं। नामित व्यक्ति देय हित लाभ में समान अंश के भागीदार होंगे। (जो विवरण लागू नहीं हो उसे काट दिया जाये)

क्र.स.	नाम	उम्र	सम्बन्ध	पता
1				
2				
3				

दिनांक..............

सदस्य के हस्ताक्षर जिसका विकल्प दिया गया है बीपीएल सूची में अंकित सर्वे फार्म क्रमांक / आस्था कार्ड क्रमांक.........

सदस्य के हस्ताक्षर जिसने विकल्प दिया है। बी.पी.एल. सूची में अंकित सर्वे फार्म क्रमांक....../आस्था कार्ड क्रमांक........

सदस्यता रजिस्टर में दिनांक............ को क्र.स. .... पर नामांकन दर्ज किया गया।

Scanned with CamScanner

(अनुलग्नक–2)

भारतीय जीवन बीमा निगम

पेंशन एवं समूह बीमा इकाई, जीवन प्रकाश, भवानी सिंह रोड, जयपुर

PMJJBY/PMSBY/ पन्नाधाय जीवन अमृत योजना **(आम आदमी बीमा योजना)**

दावा फॉर्म

भाग अ एवम भाग द नोडल एजेंसी द्वारा भरा जाना चाहिए		
भाग ब एवम भाग स नॉमिनी/ दावेदार द्वारा भरा जाना चाहिए		
भाग अं : (नोडल एजेंसी द्वारा भरने के लिए)		
1	पॉलिसी संख्या	
2	नोडल एजन्सि का नाम व पता , टेलीफ़ोन न.	
3	फोन न.- मोबाइल व लैंड्लाइन नंबर	
4	नोडल एजेंसी का email address	
भाग ब : मृतक का विवरण : दावेदार द्वारा भरने योग्य		
1.	मृतक का नाम व पता	
2.	BPL सूची में अंकित सर्वे फॉर्म क्रमांक / आस्था कार्ड क्रमांक	
3.	मृतक का आधार कार्ड नंबर	
4.	मृतक के पिता/पति का नाम	
5.	मृत्यु की तिथि	
6.	मृत्यु का स्थान	
7.	मृतक की जन्म तिथि व उम्र	
8.	मृत्यु का कारण	साधारण/दुर्घटना
भाग स : नामित व्यक्ति का पूर्ण विवरण/ नामित न होने की स्थिति में वारिस/ दावेदार का विवरण		
1	दावेदार का नाम व पूर्ण पता	
2	दावेदार के दूरभाष नंबर/ मोबाइल नंबर	
3	दावेदार का ई-मेल पता	
4	दावेदार का मृतक से संबंध	
5	दावेदार का आधार नंबर	
6	भुगतान के लिए बैंक बचत खाता संख्या	
7	बैंक का IFSC Code	
8	बैंक का नाम, शाखा एवं पूर्ण पता	
गवाह के हस्ताक्षर गवाह का नाम व पता स्थान दिनांक		मैं एतदद्वारा घोषणा करता/ करती हूं कि उपरोक्त सभी विवरण हर प्रकार से सत्य हैं। नामित / वारिस / दावेदार के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

P.T.O.

Scanned with CamScanner

भाग द नोडल एजेंसी द्वारा भरने हेतु

1.	सदस्यता संख्या (Member ID)	
2.	सदस्य की LIC ID	
3.	यदि सदस्य PMJJBY/PMSBY/ पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (AABY) में नया सदस्य है या पूर्व से ही अभिनिहित था	नया सदस्य [ ] पूर्व से ही अभिनिहित सदस्य [ ]
4.	क्या मृतक परिवार का मुखिया या कमाऊ सदस्य था (TICK करें)	हाँ या नहीं

1. सत्यापित किया जाता है कि दावेदार/नामित व्यक्ति द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना का हमारे रेकॉर्ड से मिलान किया गया एवं सही पाई गई ।
2. योजना के नियमों के अनुसार मृतक योग्यता मानकों के अंतर्गत था। दावा नामित/वारिस दावेदार को भुगतान योग्य है।

नोडल एजेंसी के अधिकारी के हस्ताक्षर
(विकास अधिकारी / नगर निकाय का अधिकारी)
नाम ....
ई-मेल ....
पता : ....
फोन न/मोबाइल न. ....
स्थान :......................तिथि :.................

नोडल एजें... सील
(विकास अधिकारी ... निकाय का अधिकारी)

पी&ओएस कार्यालय में जमा किए जाने वाले दस्तावेज :

1. मृतक का सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न : हाँ/ना
2. BPL सूची में अंकित सर्वे फॉर्म क्रमांक / आस्था कार्ड क्रमांक (छाया प्रति) : हाँ/ना
3. मृतक के आधार कार्ड की सत्यापित फोटोकोपी संलग्न : हाँ/ना
4. नामित /दावेदार की सत्यापित आधार कार्ड की फोटोकोपी संलग्न : हाँ/ना
5. मृतक के निम्न में से कोई एक आयु प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकोपी :
   (अ) आधार कार्ड या (ब)आधार एक्ट की धारा 7 के अनुसार आयु प्रमाण पत्र
6. नामित / वैधानिक वारिस/ दावेदार की बैंक पासबुक की सत्यापित फोटोकॉपी या कैंसिल किया हुआ बैंक चैक (नाम के साथ) संलग्न : हाँ/ना

7. दुर्घटना मृत्यु/अपंगता दावा की स्थिति में AABY/PMSBY अतिरिक्त दस्तावेज :- FIR,PMR पुलिस अन्वेषन रिपोर्ट, पुलिस FR की सत्यापित कॉपी , सरकारी सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र , दुर्घटना के कारण सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी पूर्ण/आंशिक अपंगता प्रमाण पत्र,।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

नोडल एजेंसी द्वारा सत्यापन

मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि मैंने नामित व्यक्ति के सभी तथ्य पूर्णतया उल्लेखित कर दिये हैं।

नोडल एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व सील

मैं ....पिता/पति का नाम.. यहाँ सत्यापित करता हूँ कि फॉर्म के सभी तथ्य व दस्तावेज़ उल्लेखित कर दिये गए हैं एवं मैंने दावा फॉर्म के सभी तथ्यो का महत्व समझ लिया है।

नामित/दावेदार के हस्ताक्षर

नामित/दावेदार के अशिक्षित होने की स्थिति में उनके अंगूठे का निशान अधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित होना चाहिए एवं यह उदघोषणा उसके द्वारा की जानी चाहिए।

नोडल एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

नामित /वारिस के द्वारा विमुक्ति/भरपाई पत्र

मैं/हम ....
एतदद्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम से रुपये ....(अंको में) रुपये ....(अक्षरों में) की रकम की प्राप्ति पूर्ण संतुष्टि के साथ स्वीकार करते हैं तथा मास्टर पॉलिसी नंबर .... के अंतर्गत मृतक सदस्य श्री/श्रीमती .... के जीवन पर हमारे सभी दावों और मांगो के लिए भरपाई करते हैं।

रेवेन्यू स्टांप

नामित/दावेदार/वारिस के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

गवाही :

नोडल एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व सील

P.T.O.

Scanned with CamScanner

कृपया सभी बिन्दुओ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुये दावा फार्म की पूर्ति करके भेजे।

जाँच बिन्दु :-

•ध्यान रहे ग्रामीण क्षेत्र में नोडल एजेंसी पंचायत समिति है न कि ग्राम पंचायत इसलिए मृत्यु दावा फार्म विकास अधिकारी द्वारा ही सत्यापित होना है तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद /नगर निगम है, इसलिए मृत्यु दावा फार्म सबंधित अधिशाषी अधिकारी / आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ही सत्यापित किया जाना है।

•नोडल एजेंसी द्वारा मृतक की आयु अवश्य जाँच करके लिखनी होगी ।

•मृत्यु दावा फार्म के सभी कॉलम स्पष्ट भरे हुये हो अधुरे फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा।

•मृत्यु दावा फार्म पर गवाह के हस्ताक्षर व दावेदार के हस्ताक्षर हो।

•नामांकित/दावेदार की बैंक पासबुक की सत्यापित फोटोकोपी या कैन्सल किया हुआ बैंक चैक संलग्न करे।

•मृत्यु दावे फार्म के साथ ये सभी सत्यापित दस्तावेज सलंग्न करना अति आवश्यक है :-मृतक व नामिनी का आधार कार्ड, मृतक व नामिनी का वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बी.पी.एल.प्रमाण-पत्र या सूची,

[सभी सलंग्न दस्तावेज ग्राम सचिव या विकास अधिकारी एवं सबंधित नगर निकाय के अधिकारी से सत्यापित होना आवश्यक है तभी दावा फार्म स्वीकार होगा]

•मूल मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न हो।

•दावेदारी के मोबाइल नंबर या फोन नंबर दावा फार्म मे लिखा होना आवश्यक हैं।

•दुर्घटना से मृत्यु / शारीरिक अपंगता होने की दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम जयपुर को दावा आवेदन पत्र २ प्रतियो में भिजवाए /

Scanned with CamScanner